

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलेक्टर, टोंक
प्रकरण संख्या 10/2023

श्री श्योजी पुत्र स्वरूपा जाति माली निवासी ग्राम व पोस्ट सुरेली वाया उनियारा जिला
टोंक राज0
—अपीलार्थी

वनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेटा जिला टोंक
—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 05.07.2023

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2023 को प्रेषित/प्रस्तुत करने पर राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अति० जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र क्रमांक 168-170 दिनांक 02.03.2023 से लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेटा जिला टोंक को अन्तरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु लिखा गया। अपीलान्ट द्वारा निम्न वर्णित सूचना चाही गई:-

प्रमाणित नकल नामान्तरकरण नम्बर 63 निर्णय तिथि 26.09.1961 ग्राम सुरेली तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा०पत्र की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेटा को पत्र क्रमांक 444 दिनांक 10.04.2023, 456 दिनांक 13.06.2023, 484 दिनांक 22.06.2023 व 525 दिनांक 28.06.2023 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नहीं हुए। लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेटा द्वारा आज दिनांक तक जवाब प्रेषित नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेटा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं नायब तहसीलदार बनेटा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।



(चिन्मयी गोपाल)

प्रथम जिला कलेक्टर
एवं जिला कलेक्टर टोंक